राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या 937/2017...जिला...........दौसा.......................................

उनवान – मैसर्स अग्रवाल कृषि यंत्र, एन.एच. 11, महुआ बनाम सीटीओ, बिजनिस ऑडिट प्रथम, संभाग द्वितीय, जयपुर।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20.06.2017	**एकलपीठ** **श्री मदन लाल, सदस्य** अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री अलकेश शर्मा एवं विभाग की ओर से उप–राजकीय अधिवक्ता श्री आर.के.अजमेरा उपस्थित। यह अपील अपीलीय प्राधिकारी तृतीय, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.04.2017 जो राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 38(4) के तहत् कायम की गयी मांग राशि के संबंध में पारित किया गया है, के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। अपील में अपीलीय अधिकारी द्वारा विवादित मांग राशि रू0 1,22,072/– की वसूली पर रोक लगाने के प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करने को चुनौती दी गयी है । उभयपक्षीय बहस सुनी गयी । विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने तर्क दिया कि पारित अपीलीय आदेश विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है। अतः मांग राशि के संबंध में उपर्युक्त वर्णित आधार पर, प्रकरण एवम् सुविधा संतुलन अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में होने के कारण, विवादित मांग राशि मांग राशि रूपये 1,22,072/– को अपीलीय अधिकारी के समक्ष लम्बित अपील के निस्तारण तक स्थगित करने का निवेदन किया। विभागीय प्रतिनिधि ने अपीलीय आदेश का समर्थन कर, सुविधा संतुलन विभाग के पक्ष में होना प्रकट किया तथा वसूली पर रोक प्रार्थना पत्र अस्वीकार करने की प्रार्थना की गयी । उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया अपीलीय अधिकारी के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलीय अधिकारी ने अपने आदेश में अपील को अस्वीकार करने का कोई युक्तियुक्त कारण अंकित नहीं किया है, अपीलार्थी के विरूद्ध सृजित मांग आगत कर की राशि से संबंधित है, तद्नुसार आगत कर अधिक लिया जाना बताया है, अपीलार्थी का कथन है कि उनके द्वारा आगत कर अधिक लिया गया है। चूंकि प्रकरण अपीलीय अधिकारी के समक्ष विचाराधीन है। अतः प्रथम दृष्टया सुविधा सन्तुलन अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में प्रतीत होता है एवं अपीलार्थी व्यवहारी के विरूद्ध कायम विवादित मांग रूपये 1,22,072/– की वसूली कार्यवाही पर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा निर्धारण अधिकारी के संतोष के अनुरूप जमानत 15 दिवस में प्रस्तुत करने की शर्त पर रोक लगाई जाती है। शर्त का उल्लंघन करने पर उक्त आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जावेगा। अपीलीय अधिकारी को भी निर्देशित किया जाता है कि वे इस आदेश प्राप्ति के 3 माह में उनके समक्ष लम्बित अपील का गुणावगुण के आधार पर निष्पादन करें। अपील का निस्तारण उपर्युक्तानुसार किया जाता है। आदेश प्रसारित किया गया। **(मदन लाल)** **सदस्य**	